

अध्याय ॥

लौह एवं इस्पात उत्पादों और उससे बनी वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

2.1 प्रस्तावना

भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है और वर्ष 2012-13 के दौरान लौह और इस्पात तीन शीर्ष राजस्व वस्तुओं में से एक था। केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 लौह और इस्पात को पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची के अध्याय 72 के तहत वर्गीकृत करता है। लौह और इस्पात के उत्पाद अध्याय 73 के तहत अलग से वर्गीकृत किए गए हैं। 19 मार्च 2012 से लौह और इस्पात और उससे बनी वस्तुओं पर 12 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उद्ग्राहय है। इसके अतिरिक्त, शुल्क के 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर (9 जुलाई 2014 से प्रभावी) और शुल्क के 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर (1 मार्च 2007 से प्रभावी) भी उद्ग्राहय हैं।

सामान्यतया लौह और इस्पात और उसके उत्पाद चार प्रकार की इकाईयों में निर्मित किए जाते हैं (i) एकीकृत स्टील संयंत्र; (ii) छोटी इस्पात यूनिटें (iii) री-रोलिंग मिल्स और (iv) विविध इंजीनियरिंग माल निर्माण करने वाली इकाईयां।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए थे:

- i. लौह और इस्पात क्षेत्र से संबंधित उत्पाद शुल्क लगाने निर्धारण और एकत्रण से संबंधित समय समय पर जारी नियमों, विनियमों अधिसूचना, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिसों इत्यादि की पर्याप्तता और अनुपालन;
- ii. क्या मौजूदा कानूनी प्रावधानों का पर्याप्तता के साथ अनुपालन किया जा रहा है;
- iii. क्या एक प्रभावी निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था।

2.3 लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा करने के लिए हमने 35 आयुक्तालयों और उन आयुक्तालयों के तहत संचालित सहायक कार्यालयों को चुना। लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या चनित आयुक्तालयों, डिविज़न और रेज कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र थे और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से रेज कार्यालय स्तर पर अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावकारिता की नमूना जांच की गई थी। उचित निर्धारणों और शुल्क की वसूली और एकत्रण के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन की नमूना जांच विभागीय कार्यालयों और कुछ चयनित निर्धारितियों के परिसरों में की गई थी।

कवर की गई अवधि 2010-11 से 2012-13 थी। हमने अगस्त 2014 में ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने छूट, बकाया की वसूली न करने, शुल्क का भुगतान न करने/कम भुगतान करने, सेनेवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने इत्यादि के मामले पाए जिसमें ₹ 24.60 करोड़ का राजस्व शामिल था। विभाग ने ₹ 1.39 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा अपतियां स्वीकार की (नवम्बर 2014) और उसकी वसूली की। मुख्य निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

विभाग केन्द्रित मुद्दे

2.4 बकाया की वसूली

कानून सरकार को देय राजस्व की वसूली के लिए कई तरीकों का प्रावधान करता है। इनमें राशियों के प्रति वसूलियों का समायोजन यदि कोई उस व्यक्ति को देय है जिससे राजस्व वसूली योग्य है, सम्पत्ति की कुर्की और उत्पाद शुल्क योग्य माल की बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली शामिल है। बकायों की वसूली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के बुनियादी कर्तव्यों में से एक है।

बोर्ड ने दिनांक 1 जनवरी 2013 के परिपत्र द्वारा निर्देश दिया कि पुष्टि की गई मांग के प्रति वसूली प्रक्रिया उसमें निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रांभ की जाएगी।

2.4.1 अप्रतिरोधित बकाया की वसूली न करना

निम्नलिखित तालिका के अनुसार तीन आयुक्तालयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 21 मामलों में अधिनिर्णय के बाद मूल आदेश जारी करने की तिथि से कई वर्षों के बीत जाने के बाद भी ₹ 7.94 करोड़ की वसूली नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि देयों को जमा कराने के लिए निर्धारितियों के साथ केवल पत्राचार किया गया था किन्तु चल या अचल सम्पत्ति की पहचान और जिला राजस्व अधिकारियों द्वारा सरकारी देयों की वसूली के लिए सम्पत्ति की कुर्की और वसूली जैसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई थी।

तालिका 2.1

(₹ लाख में)

क्रम सं.	आयुक्तालय	मामलों की सं.	अप्रतिरोधित बकाया	अधिनिर्णय आदेश की तिथि
1.	पटना	06	32.02	12/2000 से 12/2010
2	कानपुर	03	213.32	6/2007 से 01/2009
3	जयपुर	12	548.78	8/2011 से 12/2012
	जोड़	21	794.12	

हमने इस बारे में आयुक्तालयों को जनवरी 2014 (जयपुर) और मार्च 2014 (पटना और कानपुर) में बताया था। जयपुर आयुक्तालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2014) में दो मामलों में ₹ 1.17 लाख की वसूली की सूचना दी और बताया कि अन्य मामलों में निर्धारितियों को देयों का भुगतान करने के लिए राजी किया जा रहा था। अन्य दो आयुक्तालयों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.4.2 विभाग के पक्ष में अन्तिम आदेश के बावजूद सरकारी राजस्व की वसूली न होना

कानपुर आयुक्तालय में डिविजन II के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने दिसम्बर 2008 में कानपुर आयुक्तालय (उत्तर प्रदेश) में उन्नाव में मै. राज रत्न इंडस्ट्रीज (अब मै. जय जगदाम्बा मेटालायड लि.)

के प्रति ₹ 88.26 लाख की मांग की पुष्टि की थी। निर्धारिती सेस्टेट में गया, जिसने दिनांक 7 फरवरी 2012 के अन्तिम आदेश द्वारा मामले का निर्णय विभाग के पक्ष में लिया। किन्तु विभाग ने निर्धारिती से बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। आगे यह देखा गया कि एक तरफ तो विभाग उपरोक्त राशि की वसूली नहीं कर सका, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी लम्बित बकायों की सूची से उपरोक्त मामले को हटा दिया क्योंकि सितम्बर 2013 महीने के लिए डिविजन द्वारा तैयार टीएआर में उपरोक्त मामला लम्बित के रूप में नहीं था।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2013), डिविजन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि पार्टी ने माननीय उच्च न्यायलय, इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार सेस्टेट के समक्ष गलती के सुधार का आवेदन दर्ज किया जिसे 21 जून 2013 के आदेश द्वारा सेस्टेट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, पार्टी के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही थी।

डिविजन के उत्तर से इस बात की पुष्टि हो गई कि सेस्टेट द्वारा दूसरी बार निर्धारिती की अपील के अस्वीकरण के बावजूद, चार महीने बीत जाने के बाद भी निर्धारिती के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

अनुपालन मुद्दे

2.5 छूट

सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(1) में परिकल्पना की गई है कि उस इनपुट की मात्रा या इनपुट सेवा पर सेनेट क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा जो छूट प्राप्त माल के निर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में उपयोग होती है।

यदि सेवा प्रदाता कर योग्य और छूट प्राप्त सेवाओं से संबंधित पृथक खातों का अनुरक्षण करने में विफल होता है तो उस मामले में नियम 6(3) के अनुसार, निर्धारिती जैसा भी उस पर लागू होगा निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का पालन करेगा, नामतः:

- (i) माल का निर्माता या आउटपुट सेवा का प्रदाता छूट प्राप्त माल या छूट प्राप्त सेवा के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर की राशि का भुगतान करेगा; या
- (ii) माल का निर्माता या आउटपुट सेवा का प्रदाता छूट प्राप्त माल के निर्माण या छूटप्राप्त सेवा के प्रावधान में उपयोग उस से संबंधित इनपुट और इनपुट सेवाओं के कारण सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

2.5.1 रायपुर आयुक्तालय में मै. सिंघल एटरप्राइसेस प्रा. लि. रायगढ़ ने 2012-13 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क योग्य और गैर उत्पाद शुल्क योग्य (बिजली) दोनों का निर्माण किया। उत्पादित बिजली का उपयोग स्व उत्पादन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) को बेचने में और निर्धारिती के टाउनशिप में भी उपयोग किया गया था। निर्धारिती ने फैक्ट्री में उपयोग की गई बिजली और बाहर बेची गई बिजली के लिए अलग खातों का अनुरक्षण नहीं किया था। चूंकि निर्धारिती ने अलग खातों का अनुरक्षण नहीं किया था वह ₹ 57.68 लाख की (छूट बिक्री मूल्य का छः प्रतिशत) राशि के भुगतान का दायी था। यह नियमों के तहत लागू व्याज और शास्ति सहित निर्धारिती से वसूली योग्य था।

हमने इस बारे में फरवरी 2014 में बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

2.5.2 रायपुर आयुक्तालय में मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चम्बा ने 2012-13 की अवधि के लिए ₹ 22.34 करोड़ की कुल बिजली (छूट प्राप्त माल) बेची थी। निर्धारिती ने फैक्ट्री में उपयोग की गई बिजली और बाहर बेची गई बिजली के लिए अलग खातों का अनुरक्षण नहीं किया था और माल की छूट प्राप्त बिक्री पर सेनवेट क्रेडिट का वापसी के लिए ₹ 58.60 लाख डेबिट किए थे। इस संबंध में कहना है कि 2012-13 में कुल बिक्री ₹ 2215.10 करोड़, कुल छूट प्राप्त बिक्री ₹ 22.34 करोड़ और कुल लिया गया क्रेडिट लाभ ₹ 107.57 करोड़ था। जब बेचे गए छूट प्राप्त माल के मूल्य को कुल बेचे गए माल को एक वर्ष में लिया गया कुल सेनवेट क्रेडिट से गुणा किया गया, वापसी की राशि ₹ 1.08 करोड़ पायी गई। इसलिए, ₹ 49.87 लाख की कम

वापसी हुई। यह निर्धारिती से लागू नियमों के तहत ब्याज और शास्ति सहित वसूली योग्य था।

हमने फरवरी 2014 में इसके बारे में बताया था, आयुक्तालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

2.5.3 छूट अधिसूचना का गलत लाभ उठाना

दिनांक 16 मार्च 1995 की अधिसूचना के अनुसार फैक्ट्री में निर्मित मध्यवर्ती उत्पाद को शुल्क से छूट है, यदि इसका उपयोग (क) पूँजीगत माल जैसा सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 में परिभाषित है अर्थात् जो सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र है या (ख) सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र इनपुटों से निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य अन्तिम उत्पादों या उससे संबंधित, निर्माण में उपयोग किया गया हो।

रायपुर आयुक्तालय में मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. चम्पा जो कि लौह एवं इस्पात और उसके फ्लाई एश ब्रिक्स एवं कोल तार वस्तुओं का निर्माण करती है, ने 2012-13 के दौरान ₹ 45.91 लाख मूल्य (निर्धारण योग्य मूल्य प्रचलित बजार दर पर आधारित है) के 14,43,850 संख्या के फ्लाई एश ब्रिक्स/ब्लाकों की निकासी स्व उपयोग हेतु की। इसके अतिरिक्त अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त अधिसूचना का लाभ लेते हुए निर्धारिती ने निकासी की गई मात्रा पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था। चूंकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स/ब्लाक, स्पॉज आयरन, आयरन बिलेट्स और सिलिकान मैंगनीज जैसे अन्तिम उत्पादों के निर्माण हेतु उपयोग नहीं किया गया था, अधिसूचना के तहत लिया गया लाभ अनियमित था। इसके परिणमस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 5.68 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ। इसकी वसूली नियमों/अधिनियमों के तहत ब्याज और शास्ति सहित वसूलना आवश्यक है।

हमने इसके बारे में फरवरी 2014 में ध्यान दिलाया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.5.4 छूट अधिसूचना के गलत लाभ के परिणामस्वरूप शुल्क न लगाना

16 मार्च 1995 की अधिसूचना रक्षा और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों जो कालम (2) में विर्तिदिष्ट हैं, उक्त अधिसूचना में अनुबंधित तालिका के कालम (3) में विर्तिदिष्ट शर्त के अधीन, आपूर्ति किए गए माल पर उत्पाद शुल्क और उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क से छूट का प्रावधान करती है। अधिसूचना की क्रम संख्या 21 पर शर्त विर्तिदिष्ट है कि उक्त माल की आपूर्ति भारतीय नौसेना और कोस्टगार्ड के युद्धपोतों के निर्माण में प्रयोग हेतु की जानी चाहिए।

वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान मै. शाह एलाय कलोल, जोकि अहमदाबाद आयुक्तालय (गुजरात) के तहत आता है, में पाया गया कि निर्धारिती ने क्रय आदेश के प्रति मै. डब्ल्यू डब्ल्यू डिफेंस, दिल्ली को ₹ 1,40,000 प्रति टन की दर से 80 मीट्रिक टन आरमर स्टील प्लेट्स की आपूर्ति की। उक्त आपूर्ति सेन्ट्रल एयर कमांड, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 21 मार्च 2012 को जारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट प्रमाणपत्र पर आधारित थी और उत्पाद शुल्क की शून्य दर पर की गई थी। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने सेनेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) के अनुसार, आपूर्ति के मूल्य पर 6 प्रतिशत की दर से सेनेट क्रेडिट को वापिस किया।

तथापि, अधिसूचना 64/95 की क्रम सं. 21 के तहत निर्धारित शर्त के अनुसार माल की आपूर्ति भारतीय नौसेना या तटरक्षक के युद्धपोत के निर्माण में प्रयोग होनी चाहिए थी। इस मामले में, माल की आपूर्ति भारतीय वायु सेना के सेन्ट्रल एयर कमांड की बुलेट प्रूफ गार्ड रूम के निर्माण हेतु की जा रही थी। यह भी पाया गया कि की गई आपूर्ति और जिस संगठन को आपूर्ति की गई थी, का पूर्व में उल्लिखित अधिसूचना की किसी भी क्रम संख्या में उल्लेख नहीं था। की गई आपूर्ति का मूल्य ₹ 1.12 करोड़ था जिसमें ₹ 6.72 लाख की राशि जिसे पहले ही वापिस कर दिया गया था, काटने के बाद ₹ 7.12 लाख का शुल्क दायित्व शामिल था।

जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2013) आयुक्तालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि निर्धारिती द्वारा ₹ 7.11 का अन्तर शुल्क पहले ही डेबिट कर दिया गया था और ₹ 2 लाख की ब्याज की राशि वसूलनी बाकी है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.6 मूल्यांकन

2.6.1 सीएएस 4 रिकार्ड का रखरखाव न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 9 के परन्तुक के साथ पठित नियम 8 में परिकल्पित है कि जहां निर्धारिती द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य माल बेचा नहीं जाता है किन्तु उसका उपभोग उसके द्वारा या निर्धारिती से संबंधित व्यक्ति द्वारा अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ऐसे माल का निर्धारित मूल्य ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया (13 फरवरी 2003) कि स्व उपभोग किए गए ऐसे माल का मूल्य लागत लेखांकन मानक (सीएएस 4) विधि के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

पुणे ॥ आयुक्तालय में मै. ग्रेटवेल्ड स्टील ग्रेटिंग प्राइवेट लि. के वर्ष 2012-13 के लिए अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती अपनी संबंधित यूनिट को माल भेज रहा था। तथापि, निर्धारिती द्वारा उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए कोई लागत अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। निर्धारिती को पूर्व पाँच वर्षों के लिए सीएएस-4 के अनुसार उत्पादन की लागत का निर्धारण और अन्तर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा की तिथि तक इस मामले पर विभाग द्वारा कोई एससीएन जारी नहीं किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014) आयुक्तालय ने निर्धारिती को 2009-10 से 2012-13 की अवधि कवर करते हुए ब्याज और शास्ति सहित ₹ 44.67 के अंतर शुल्क के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (मई 2014)।

2.6.2 मालभांडा प्रभारों को शामिल न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1994 की धारा 4(3) (डी) के अनुसार शुल्क लगाने के उद्देश्य से लेन देन मूल्य शब्द का अर्थ है बेचे गए माल के लिए वास्तव में दत्त या देय कीमत और इसमें बिक्री से संबंधित वह कोई भी राशि शामिल है जो

क्रेता द्वारा निर्धारिती को भुगतान की जाती है चाहे वह बिक्री के समय या किसी अन्य समय किया गया हो, इसमें परिवहन बीमा प्रभार इत्यादि शामिल हैं।

संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2000 (शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) आगे स्पष्ट करता है कि यदि फैक्ट्री माल निकासी की जगह नहीं है, तो फैक्ट्री से निकासी की जगह जैसे कि डिपो, परेषण एजेंट का परिसर इत्यादि तक परिवहन की लागत को उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से छोड़ा नहीं जा सकता है।

2.6.2.1 गुडगाँव आयुक्तालय में मै. एजीआर स्टील स्ट्रीपस प्राइवेट लिमिटेड के 2010-2013 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 1.61 करोड़ की राशि के भाड़ा प्रभार के साथ भंडार को परेषण एजेंटों को हस्तातरित किया था।

बिक्री के बिन्दु तक माल भाड़ा प्रभारों अर्थात् परेषण परिसरों के स्थल को भी माल के मूल्य में शामिल किया जाना था। निर्धारण मूल्य से ऐसे प्रभारों को छोड़ देने के परिणामस्वरूप ₹ 17.36 लाख का कम शुल्क लगाया गया।

जनवरी 2014 में हमने इस बारे में बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.6.2.2 हमने पाया कि कानपुर आयुक्तालय में मै. रिमझिम स्टेनलैस लिमिटेड, जो एम. एस. वायर रोड और एम. एस. वायर, एम. एस. बारस, स्टेनलैस स्टील रोड, शेप्स और सेक्शन इत्यादि का निर्माण करता है, ने 2010-13 के दौरान अपने डिपो से अन्तिम उत्पादों की निकासी की और ₹ 5.25 करोड़ के माल भाड़ा और गाड़ी प्रभार का भुगतान किया। निर्धारण मूल्य में इन प्रभारों के शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ 64.84 लाख के उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ जो वसूली योग्य था।

हमने इसके बारे में जनवरी 2014 में बताया था मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.7 सेनवेट

2.7.1 सीमाशुल्क उपकर पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3 मूल सीमाशुल्क पर प्रभारित शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देता।

वर्ष 2012-13 के लिए 14 निर्धारितियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि उन्होंने मूल सीमा शुल्क पर लगाए जाने वाले शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया था जोकि अयोग्य था। ₹ 54.88 लाख की राशि का अयोग्य क्रेडिट लागू व्याज और शास्ति सहित वसूली योग्य है जैसा नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:-

तालिका 2.2

(₹ लाख में)

क्रम सं.	निर्धारितियों की संख्या	आयुक्तालय	लिया गया शिक्षा उपकर	लिया गया माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	लिया गया कुल उपकर
1	4	कालीकट	12.96	6.48	19.44
2	2	कोचीन	14.71	7.36	22.07
3	1	तिरुवनंतपुरम	3.56	1.78	5.34
4	2	बोलपुर	2.44		2.44
5	3	कोलकाता IV	1.82		1.72
6	2	दिल्ली I	3.77		3.77
जोड़			39.26	15.62	54.88

हमने इस बारे में जनवरी 2014 में बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.7.2 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 2(i) इनपुट सेवा के दायरे से उन सेवाओं को जो (वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 के उप खण्ड (पी), (जेडएनजेडजेल) (जेड जेड क्यू), (जेड जेड जेड एच) (जेड जेड जेड जेड

ए) में विर्निदिष्ट है, बाहर किया गया हैं जहां तक वह एक भवन या एक सिविल संरचना या उसके भाग के निर्माण के लिए और नींव डालने या पूँजीगत माल की सहायता के लिए संरचना बनाने के लिए प्रयोग होते हो।

2.7.2.1 कोलकाता-IV आयुक्तालय (पश्चिम बंगाल) में मै. भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने उपरोक्त नियम के प्रावधान के उल्लंघन में सिविल निर्माण कार्यों के लिए इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लिया था।

इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 34.81 लाख का सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

हमने इस बारे में नवम्बर 2013 में बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.7.2.2 इसी प्रकार बोलपुर आयुक्तालय में तीन निर्धारितियों नामतः मै. बीएसपी उद्योग प्रा. लि. दुर्गापुर, मै. शकम्भरी इस्पात एवं पावर लि. मादामदीह, मै. सोवा इस्पात लि. बंकुरा और कोलकाता आयुक्तालय में एक निर्धारती नामतः मै. आर्कवैक फोर्जकास्ट लि. पंचघरा ने 2011-13 में उपरोक्त नियम के प्रावधान के उल्लंघन में ₹ 16.93 लाख सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया। इस बारे में बताने पर मै. बीएसपी उद्योग प्रा. लि. दुर्गापुर ने ₹ 11.78 लाख के सेनवेट क्रेडिट को ₹ 3.07 लाख के ब्याज सहित वापिस किया।

हमने इस बारे में नवम्बर 2013 में बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था। (दिसम्बर 2014)।

इसके अलावा सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 2 (ए) कुछ उपकरण या सामान जो कार्यालय में प्रयोग होते हैं को पूँजीगत माल के दायरे में शामिल नहीं करता।

2.7.2.3 बोलपुर आयुक्तालय में मै. सेल इसको स्टील संयंत्र बर्नपुर ने 2012-13 की अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित नियम के उल्लंघन में पूँजीगत माल के रूप में मेजों, कुर्सियों इत्यादि पर क्रेडिट लिया, जिन्हें कार्यालय फर्नीचर के रूप में उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उपकर सहित ₹ 5.59

लाख की राशि के पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

हमने इसके बारे में नवम्बर 2013 में बताया, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.7.3 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/वापिस न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(5) प्रदान करता है कि जब इनपुट या पूँजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, को 'उसी रूप से' फैक्ट्री से हटाया जाता है, तो निर्माता या सेवा प्रदाता ऐसे इनपुट या पूँजीगत माल पर लिए गए क्रेडिट लाभ के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

वर्ष 2012-13 के लिए जयपुर-I, इन्दौर और अहमदाबाद-III आयुक्तालयों के अभिलेखों की जांच के लिए चयनित 40 निर्धारितियों में से नौ मामलों में इनपुट/पूँजीगत माल के संबंध में ₹ 16.56 लाख के सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ के मामले पाए गए थे, जैसा नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

तालिका 2.3

(₹ लाख में)

क्रम सं.	निर्धारितियों की संख्या	आयुक्तालय	शामिल राशि	वसूल की गई राशि
1	7	जयपुर - I	12.83	9.73
2	1	अहमदाबाद - III	1.75	0.00
3	1	इन्दौर	1.98	1.98
जोड़			16.56	11.71

जब हमने इसके बारे में बताया (नवम्बर/दिसम्बर 2013), पांच मामलों में ₹ 11.71 लाख की राशि की वसूली की गई थी और यह बताया गया कि बकाया मामलों की जांच की जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.8 शुल्क का भुगतान न करना/कम करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8(3ए) के अनुसार यदि निर्धारिती उप-नियम(1) में निर्धारित नियत तारीख से तीस दिनों से अधिक तक शुल्क के भुगतान में छूक जाता है तब सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के कथित उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में उल्लिखित

तथ्य के बावजूद निर्धारिती उस तिथि तक जब निर्धारिती इस पर ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करेगा, सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना निकासी के समय पर प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करेगा और किसी विफलता की स्थिति में यह माना जाएगा कि ऐसे माल की निकासी शुल्क भुगतान के बिना कर दी गई थी और इन नियमों में उपलब्ध कराए गए परिणाम और शास्तियों का अनुसरण किया जाएगा।

अहमदाबाद III आयुक्तालय में मै. शैफाली स्टील लि. कलोल के मामले में, 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए यह पाया गया कि फरवरी 2011, सितम्बर 2011 और अक्टूबर 2011 के महीनों के लिए निर्धारिती के आरजी-1 रजिस्टर के अनुसार कुल शुल्क देयता उसके द्वारा वास्तव में दत्त शुल्क से अधिक थी। ईआर-1 रिटर्न में दर्शायी गई शुल्क देयताएं भी आरजी-1 रजिस्टरों की तुलना में कम दशाई गई थी। इस प्रकार उपरोक्त अवधि के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत रिटर्न पूरी तरह सही नहीं थी।

निर्धारिती के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में यह पाया गया कि उपरोक्त महीनों में कम शुल्क भुगतान की अभी तक वसूली नहीं की गई है। इसके परिणास्वरूप ₹ 12.44 लाख तक के शुल्क का कम भुगतान हुआ जो निम्नानुसार है:-

तालिका 2.4

महीना	आरजी-1 के अनुसार देय शुल्क	ईआर-1 रिटर्न के अनुसार दत्त शुल्क	(₹ करोड़ में) कम भुगतान
फरवरी, 2011	59.76	53.81	5.95
सितम्बर, 2011	83.29	77.90	5.39
अक्टूबर, 2011	32.27	31.17	1.1
जोड़	175.32	162.88	12.44

जब हमने इस बारे में बताया (नवम्बर 2013) आयुक्तालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि निर्धारिती से फरवरी 2011 और सितम्बर 2011 के महीने के लिए ब्याज सहित ₹ 16.63 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी।

2.9 सेवा कर संबंधी मामले

2.9.1 सेवाओं जिन पर प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवाकर देय है के अन्तर्गत गैर पंजीकरण

सेवा कर “प्रतिलोम प्रभार” सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 2(1) (डी) के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68(2) के तहत प्रारंभ किया गया था। 1 जुलाई 2012 से प्रभावी दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना के अनुसार निर्माण कार्य अनुबंध के तहत सुरक्षा एजेंसी सेवा मरम्मत और अनुरक्षण, व्याकिंगत वकीलों द्वारा कानूनी सेवाओं इत्यादि को प्रतिलोम प्रभार के तहत लाया गया था। सेवा प्राप्तकर्ता को पंजीकरण प्राप्त करना और उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में निर्धारित प्रतिलोम प्रभार के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान करण अपेक्षित था। ₹ 10 लाख की छूट सीमा प्रतिलोम प्रभार तंत्र के तहत सेवा कर के भुगतान के लिए दायी निर्धारिती के लिए उपलब्ध नहीं थी।

रायपुर और बोलपुर आयुक्तालयों में निर्धारितियों के 31 मामलों, जिनके वर्ष 2012-13 के लिए अभिलेखों की जांच की गई थी, में से पाँच, अध्याय 72 एवं 73 के तहत आने वाले लौह और इस्पात के निर्माण में लगे निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निर्धारितियों ने वर्ष 2012-13 के दौरान अपने निदेशकों को कुल ₹ 89.35 करोड़ के पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान किया था। तथापि, उन्होंने रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया था जो कुल मिलाकर ₹ 10.98 करोड़ बनता है जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 2.5

(₹ लाख में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	आयुक्तालय का नाम	भुगतान किया गया कुल पारिश्रमिक	भुगतान योग्य सेवा कर
1.	मै.जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	रायपुर	8,287.00	1,024.23
2.	मै.प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	रायपुर	438.58	54.21
3.	मै.स्टार एलाय	रायपुर	35.00	4.33
4.	मै.रायगढ इस्पात एंड पावर लिमिटेड	रायपुर	18.00	2.22
5	मै. मैथन अलॉयज लिमिटेड	बोलपुर	156.17	12.53
कुल			8,934.75	1,097.52

हमने नवम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 में इसे दर्शाया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.9.2 जीटीए पर सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1) (डी) (i) (बी) के अनुसार सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में एक माल परिवहन एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वह व्यक्ति है जो सड़क के माध्यम से एक मालवाहक में ऐसे माल के परिवहन के लिए स्वयं अथवा अपने एजेन्ट के माध्यम से भाड़े का भुगतान करता है अथवा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

दिनांक 1 मार्च 2008 की अधिसूचना द्वारा सेवा उपलब्ध कराने के लिए माल परिवहन एजेन्सी द्वारा प्रभारित सकल राशि के 75 प्रतिशत पर कर से बिना शर्त छूट प्रदान की गई है।

भुवनेश्वर-II आयुक्तालय में जीटीए (माल परिवहन एजेन्सी) के तहत पंजीकृत मै. कानकॉस्ट स्टील एण्ड पावर लि., झारसुगुडा के वर्ष 2012-13 के सेवा कर अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती द्वारा आवक सामग्री, तैयार माल/उत्पाद के जावक प्रेषण इत्यादि के परिवहन से संबंधित ₹ 23.41 करोड़ के परिवहन प्रभारों का भुगतान अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान परिवाहकों को किया गया था। तथापि, निर्धारिती द्वारा ₹ 72.32 लाख (₹ 23.41 करोड़ के 25 प्रतिशत का 12.36 प्रतिशत) राशि के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2013), आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2014) तथा ₹ 12.80 लाख के ब्याज सहित आपत्ति वाली राशि की वसूली की सूचना दी।